



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-47/2015 - 1146

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गिरिडीह
पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/ बोकारो वन
प्रमंडल, बोकारो/ रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर/

वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची

दिनांक :-28.10.2015

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली "भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (अन्य क्षेत्र) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण, भू-संरक्षण एवं वनरोपण, अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण एवं सीसल वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल 248.715 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट-93/2015-34/स्वी0 व0 प0 दिनांक-28.08.2015 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-93/2015-60 आ0 व0प0 दिनांक-03.09.2015।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (अन्य) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल 248.715 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट-93/2015-34/स्वी0 व0 प0 दिनांक-28.08.2015 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-93/2015-60 आ0 व0प0 दिनांक-03.09.2015 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2.

उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष 06-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना	मजदूरी	19P240601101060103	232.924
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101060323	15.791
कुल आवंटित राशि				248.715

अर्थात् कुल 248.715 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाइन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित 248.715 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (अन्य व्यय) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष 06-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 से 2 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तदनुसार वर्ष 2015-16 के लिए राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रैंची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
9. उप-आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रैंची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।



14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
16. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।
17. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।
20. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
21. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या-2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या-819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगें।
23. कटबैक, कॉपिसिंग कार्यों में प्राप्त जलावन को स्थानीय ग्रामीणों के बीच पारदर्शी तरीके से वन व्यवस्था पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप वितरित करेंगे।

24. प्रवेश बिन्दु कार्यों का प्राक्कलन अलग से समर्पित करेंगे, जिसपर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
25. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शर्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
26. प्राक्कलन में अंकित प्रजातियाँ रोपी जाएगी। वनरोपण में Mono Culture के स्थान पर मिश्रित प्रजातियाँ का वनरोपण किया जाएगा तथा एक प्रजाति का वनरोपण में प्रतिशत 40 से अधिक नहीं होगा।
27. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरूप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी पर का भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।
29. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो।
30. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।
31. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक-1777 दिनांक 10.09.2015 द्वारा स्थल चयन समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
33. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-2, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 (क) से 1 (घ) पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-47/2015- 1146

राँची, दिनांक :- 28.10.2015

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड,

राँची क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर एनवीस सेक्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्थल का नाम	कार्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	खावा	अग्रिम कार्य	30	7.590	1.058	8.648
			प्रवेश विन्दु कार्य		3.538	0.422	3.960
योग :-				30	11.128	1.480	12.608
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	धरचांची	अग्रिम कार्य	20	9.343	0.705	10.048
			प्रवेश विन्दु कार्य		1.448	0.281	1.729
		जोरासेलम	अग्रिम कार्य	10	6.161	0.353	6.514
			प्रवेश विन्दु कार्य		2.074	0.141	2.215
योग :-				30	19.026	1.480	20.506
3	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	बड़बाद पंचरिय	अग्रिम कार्य	31	14.526	1.093	15.619
			प्रवेश विन्दु कार्य		5.135	0.436	5.571
योग :-				31	19.661	1.529	21.190
सकल योग :-				91	49.815	4.489	54.304

अनु०-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वनरोपण का अग्रिम कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्थल का नाम	कार्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	खुटरीबाद	अग्रिम कार्य	25	12.320	0.598	12.918
			प्रवेश विन्दु कार्य		3.749	0.344	4.093
योग :-				25	16.069	0.942	17.011
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	हेठलीपरधानडीह एवं बाराजोरी	अग्रिम कार्य	25	14.197	0.598	14.795
			प्रवेश विन्दु कार्य		3.844	0.344	4.188
योग :-				25	18.041	0.942	18.983
3	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	महुआटांड	अग्रिम कार्य	25	13.026	0.598	13.624
			प्रवेश विन्दु कार्य		4.069	0.344	4.413
योग :-				25	17.095	0.942	18.037
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	चिनपुन, खुरपो	अग्रिम कार्य	25	14.197	0.598	14.795
			प्रवेश विन्दु कार्य		3.844	0.344	4.188
योग :-				25	18.041	0.942	18.983
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	मायल	अग्रिम कार्य	25	13.025	0.598	13.623
			प्रवेश विन्दु कार्य		3.799	0.344	4.143
योग :-				25	16.824	0.942	17.766
सकल योग :-				125	86.070	4.710	90.780

अनु०-१ (ग)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्थल का नाम	कार्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	शामपुर	अग्रिम कार्य	30	12.978	0.450	13.428
			प्रवेश विन्दु कार्य		3.466	0.245	3.711
सकल योग :-				30	16.444	0.695	17.139

अनु०-१ (घ)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्थल का नाम	कार्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची	सबानो	अग्रिम कार्य	35	27.498	2.064	29.562
		ओदन, तुलुबुल, केना		35	27.997	2.064	30.061
		मोंगर		30	25.100	1.769	26.869
सकल योग :-				100	80.595	5.897	86.492

कुल सकल योग :- 346 232.924 15.791 248.715

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 34 दिनांक 28.08.2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-47/2015/1146

दिनांक - 28-Oct

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	69577	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	2,719,700.00 रुपये सत्ताइस लाख उन्नीस हजार सात सौ
2	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	69582	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	3,706,700.00 रुपये सैतीस लाख छः हजार सात सौ
3	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	72038	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	3,770,200.00 रुपये सैतीस लाख सत्तर हजार दो सौ

योग:

10,196,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड एक लाख छयानवे हजार छः सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (FS))

ADDIPCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	72039	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	1,709,500.00 रुपये सत्रह लाख नौ हजार पाँच सैं
5	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	72040	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,682,400.00 रुपये सोलह लाख बयासी हजार चार सैं
6	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	72041	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,644,400.00 रुपये सोलह लाख चवालीस हजार चार सैं
7	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	72042	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CF & STATE SILVICULTURIST JHA.	8,059,500.00 रुपये अस्सी लाख उनसठ हजार पाँच सैं

13,095,800.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड अस्सीस लाख बयानवे हजार चार सैं

23,292,400.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHAN (FS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	69600	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	242,200.00 रुपये दो लाख ब्यासी हजार दो सौ
9	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	69606	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	242,200.00 रुपये दो लाख ब्यासी हजार दो सौ
10	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72046	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	247,100.00 रुपये दो लाख सैतालीस हजार एक सौ
11	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72047	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	94,200.00 रुपये चौरानवे हजार दो सौ

योग:

825,700.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड इकतालीस लाख अठारह हजार एक सौ

24,118,100.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDLPCCF,DEV,JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72048	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	94,200.00 रुपये चौरानवे हजार दो सैं
13	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72049	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	69,500.00 रुपये उनहत्तर हजार पाँच सैं
14	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72050	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CF & STATE SILVICULTURIST JHA.	589,700.00 रुपये पाँच लाख नवासी हजार सात सैं

753,400.00

योग:

क्रानिक योग:

रुपये दो करोड अडतालीस लाख इकहत्तर हजार पाँच सैं

24,871,500.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND